भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

२२४

दिवाकर दीक्षित, अभि.

दिवाकर 5.9.16 को

आज दि. 5-9-16

5/9/16 दिवाकर दीक्षित अभि.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग – 3036 – I – 16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

जोगेन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह
निवासी – ग्राम गुरूनाबदा तहसील व जिला – श्योपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– बलवीर सिंह पुत्र अजीत सिंह जाट सिख
2– सुनदर सिंह पुत्र अजीत सिंह
3– तरूण पुत्र श्री पुरूषोतम ब्राहम्ण
4– तजिन पुत्र श्री केवल जाति ब्राहम्ण
निवासीगण – ग्राम जींद हरियाणा हाल निवास गुरूनावदा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
5– राजसिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाट सिख
निवासी – ग्राम शंकरपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2014–15/अ–5 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम गुरूनावदा तहसील व जिला श्योपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 153 मिं. 1 रकवा 12 बीघा 12 विस्वा अनावेदक क्रमांक 1 एवं आवेदक के पिता अजीत सिंह पुत्र लालसिंह के भू स्वामित्व की भूमि है। अजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र अर्थात् अनावेदक क्रमांक 1 एवं आवेदक के मध्य बंटवारा किया। जो तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/04–05/अ–27 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.06.2005 को स्वीकार किया गया।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 बलवीर सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारा के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 153/1 रकवा 3 बीघा बलवीर सिंह को, 153/2 रकवा 3 बीघा जोगेन्द्र सिंह को और 6 बीघा 11 विस्वा भूमि अजीत सिंह ने अपने पास रखी थी। अजीत सिंह की मुत्यु के पश्चात् शेष 6 बीघा 11 विस्वा भूमि का बंटवारा हुआ

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.3036-एक/2016 जिला श्योपुर

जोगेन्द्र सिंह विरूद्ध बलवीर सिंह एव अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2014-**15**/अ-5 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	